न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्टस**

अपीलान्ट	रेस्पोडेन्टस
अमीराम पुत्र उकाराम जाति जोशी, निवासी जेतपुरा, हाल बडगांव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 35/2019

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 आर.एल.आर. एक्ट, प्रकरण संख्या 09/2019 अमीराम बनाम सरकार

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2- तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोडेन्ट
3-श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 05.01.2020

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। संक्षिप्त में इस प्रकार है कि

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलग्रस्त भूमि के बारे में वडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मानमसिंह राजपूत ने जागीर कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पति मानी थी उसका विस्तृत विवरण सूची में पेश किया था। जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्द्राज किया, जिसका इस अपील में कोई विवाद नही है। सूची-बी मकान आबादी भूमि आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही अपीलग्रस्त भूमि है जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे-पिछे पडी खुली जमीन शामिल है। जागीर कमीश्नर ने जालोर के डिप्टी कलेक्टर (जागीर) से जांच करवाई गई उन्होंने बाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः कमीशनर के न्यायालय मे पेश की, उसमें सूची बी के क्रम संख्या 4 में भूमि के पडौस अंकित किये है उसी भूमि पर कोई उजरदारी प्राप्त नही होने से पूर्व जागीरदार की निजी सम्पति मानी है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर) ने दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार ने अपील नही की है। इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। उस निर्णय की पालना में भूमिधारी स्वयं को रेकर्ड दुरस्ती कर खसरा नम्बर 791 में ओरण की बजाय गै.मु. आबादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि रेवेन्यु रिकार्ड को अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है इस जागीरदार से नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्ट ने आबादी भूमि खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तत्कालीन तहसीलदार भीनमाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को ओरण की मानकर

बेदखली व जुर्माने का आदेश किया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निम्न आधारो पर यह अपील पेश की जा रही पटवारी हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम बार संवत् 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिस बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रूपये का जुर्माना लगाया है यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध आॅर्डर शीट दिनांक 26/03/2019 के निश्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है जिसमें यह स्पष्ट निश्कर्ष किया है कि ''कब्जाधारी जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण ड्राॅप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने भी अपनी आदेशिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीश्नर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जालोर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की है। इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यो के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीश्नर साहब के निर्णय की सूची बी में कम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की मोके पर जांच की है। उस वक्त चक्की व मकान पाये गये लिखा है, जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पति की सूची 1958-59 में पेश की जिसका निर्णय 1963 में हुआ है।उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी। जिसके चारो तरफ पुरानी काटो की बाड थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था, अब चक्की व मकान नही मिले, लेकिन मौतबिरान ने चक्की व मकान वाली भूमि निशानदेही से बतायी गई है। उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारो तरफ पुरानी बाड जागीरदार की थी उसमें अब दुकाने आवासीय मकानात है जागीरदार की निजी भूमि के पडौस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट की कार्यवाही ड्राॅप करने की बजाय बेदखली व जूर्माना का आदेश दिया है। जो निरस्त योग्य है।पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पति की सूची बी के क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिसमें से अपीलान्ट ने 11 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट रास्ता प्लस 20 फीट मकान कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया इसके बाद अपीलान्ट ने ग्राम पंचायतो से पटटे भी प्राप्त किये ग्राम पंचायत ने बाद जांच आबादी मानते हुऐ पटटे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बेचाननामा पंजीयन किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ एस्टापल्ल'' के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विबंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जूर्माने के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है।अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर कानूनी व इसके अधिवक्ता की गैर हाजरी में दिया गया। जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में भी

तो अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला नही दिया जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नही किया। यह निर्णय आदेश 20 सीपीसी के प्रावधानो के भी प्रतिकुल है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उसी दिन नकल मांगी व उसी दिन मिली उसके बाद अन्य नकले व राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त करने मे समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमे डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायहित में अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है।राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इससे पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके जागीर की थी जागीरदार खुद काश्त की भूमि ओरण के लिये छोड सकते थे तथा ओरण के लिये छोडी गई भूमि पर आबादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेन्ट का पैमाईश कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रेकर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो मानवीय भुल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पति ही थी जब जागीर कमीश्नर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तरफ उपस्थित रहे है उन्होंने कोई उजरदारी नही की तथा निर्णय के बाद अपील भी नही की ऐसी स्थिति में अब केवल रेकर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कब्जे को बेदखल कर जूर्माना कर वसूल का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।सेटलमेन्ट ऑथोरिटी ने गांव के ओरण के रकबे में गत के मुकाबला वृद्धि की है जिससे भी साबित है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पूर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791 ग्राम बडगांव की मुख्य आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नही है इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।यह है कि अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार की है। इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षैत्राधिकार व अधिकार प्राप्त है।यह है कि अपील पर नियमानुसार कोर्ट फीस पेश है हमने इस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नही की है।अत:अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नही बनने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।वर्कील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पटवारी हल्का बडगांव द्वारा गैर सायल अमीराम के विरूद्ध मौजा बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 17/2012 है।इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश एवं बतौर जुर्माना 50/-रूपये से दण्डित किया गया।उक्त आदेश के विरूद्ध गैर सायल

द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई।अपील संख्या 39/2012 अमीराम बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 को अपीलांट की अपील अस्वीकार हुई।आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरूद्ध गैर सायल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली कैम्प जालोर(राजस्थान)के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 37/2012 अमीराम बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई।इस निर्णय के विरूद्ध गैर सायल द्वारा निगरानी/एल.आर/1449/2015/जालोर अमीराम बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई।निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलक्टर जालोर का निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी अमीराम पुत्र उकाराम जाति जोशी साकिन जैतपुरा द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है।प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है।प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है।जो वसूल हो।विचाराधीन अपील प्रकरण संख्या 09/2019 सरकार बनाम अमीराम में तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध निम्नांकित तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई है।कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बड़गांव के खसरा नम्बर 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि बड़गांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है बड़गांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर,राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में कम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है।उप जिलाधीश (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में कम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी जमीन है को आबादी में होना बताया है।इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीदार की निजी भूमि मानी है।इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरूद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है।वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के अपीलांट को बेची गई है।भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है।तथा पानी बिजली के कनेक्शन भी लिये हुये है।अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजी पर काबिज है।तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानो के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना किसी संगत

प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा जबकि इस प्रकरण में अपीलांट अतिक्रमणकारी नही है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2006(1)पृष्ट संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नही होता है।क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है।तथा भू-खण्ड रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजो के लिये उपधारणा – अधिकार अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राजो के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक की विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये।इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजो के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नही है इसे अपीलांट साबित करने में सफल रहा है।क्योंकि प्रकरण संख्या 09/2019 सरकार बनाम अमीराम की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन वही है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है।जागीर कमिश्नर के निर्णय की पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करना चाहिये था जो नही किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है।जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अत:अपीलांट की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस के दौरान तर्क किया गया कि अपीलांट को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नम्बर दर्ज नहीं है।केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है।आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नही है विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है।जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नही किया जा सकता है।रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है।तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नही है।पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है।अत:आधारहीन अपील को खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत 2068 में श्री श्री अमीराम पुत्र उकाराम जाति जोशी निवासी सेतपुरा द्वारा नाजायज कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई।नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 17/2012 सरकार बनाम अमीराम दर्ज कर गैर सायल अमीराम को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया।पेशी तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर बाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौका से बेदखल

करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये से दंडित किया गया।निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरूद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 39/2012 अमीराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांट की अपील अस्वीकार हुई।निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 37/2012 अमीराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलाधीन निर्णय बहाल रखा गया।निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरूद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1459/2015/जालोर अमीराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी अमीराम पुत्र उकाराम जाति जोशी साकिन जैतपुरा द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है।प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है।प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है जो वसूल हो।विचाराधीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के मुकदमा संख्या 09/2019 सरकार बनाम अमीराम में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया है कि वडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 7.11.1959 को अपनी निजी सम्पति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आवादी भूमि का है।इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम सख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है।को आवादी में होना बताया है।निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है।इस निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नही की गई है।वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के अपीलांट द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी. जारी करना भी अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। जवकि रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नही है।केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है।आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नही है।विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुये है।जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है।जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित

भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी सम्पति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो रिकार्ड में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालाकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णन किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि ही चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलांट वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रेकर्ड में दुरुस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा चांदगांव तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण से किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नही हो जाती है। तब तक अपीलांट किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा मुकदमा संख्या 09/2019 सरकार बनाम अमराराम में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नही होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलक्टर, जालोर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलक्टर, जालोर